भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1365

गुरूवार, 11 दिसम्बर, 2025/20 अग्रहायण, 1947 (शक)

महिलाओं के रोजगार के लिए योजनाएँ

1365. श्री जी.सी. चन्द्रशेखर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक और राष्ट्रीय स्तर पर महिला श्रम बल भागीदारी दर (एफएलएफपीआर) और महिला बेरोजगारी दर क्या है;

(ख) विगत पाँच वर्षों के दौरान महिलाओं के रोज़गार के लिए केंद्रीय योजनाओं (जैसे, मुद्रा, स्टैंड-अप इंडिया) से लाभान्वित होने वाली महिला श्रमिकों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है; और

(ग) औपचारिक रोज़गार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार क्या अतिरिक्त उपाय कर रही है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रोजगार और बेरोजगारी का आधिकारिक डेटा स्रोत है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, देश में वर्ष 2023-24 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 60.1% और कर्नाटक राज्य में 56.8% है। इसके अतिरिक्त, देश में 2023-24 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) 3.2% और कर्नाटक राज्य में 2.7% है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) और स्टैंड-अप इंडिया योजना (एसयूपीआई) के तहत महिला उद्यमियों को दिए गए ऋणों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार/वर्ष-वार जानकारी अनुबंध-I और II में दी गई है।

रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार सरकार की प्राथमिकता है। सरकार महिला श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

सरकार ने महिलाओं के शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के मुद्दे का समाधान करने के लिए जीवन-चक्र निरंतरता के आधार पर एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है। परिणामस्वरूप, भारत एक नए भारत के दृष्टिकोण के साथ महिलाओं के विकास से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास में तेजी से परिवर्तन देख रहा है, जहां महिलाएं तेज गति और सतत राष्ट्रीय विकास का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं।

महिलाओं के रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए, चार श्रम संहिताएं- वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 को 21 नवंबर 2025 से कार्यान्वित की गई है, जिसमें 29 पूर्ववर्ती श्रम कानूनों को युक्तिसंगत बनाया गया है।

इन श्रम संहिताओं में महिला श्रम बल भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रावधान हैं जैसे:-

(i) कार्यस्थल विवाद समाधान में महिलाओं की राय को शामिल करने के लिए शिकायत निवारण समिति में उनका आनुपातिक प्रतिनिधित्व।
(ii) 26 सप्ताह तक का सवैतनिक मातृत्व अवकाश, साथ ही दत्तक और कमीशनिंग माताओं के लिए 12 सप्ताह और मातृत्व अवकाश के बाद रिमोट कार्य की अनुमति देना जहां संभव हो।
(iii) महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ऊपरी खदानों में तथा सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच भूमिगत खदानों में (सहमति से) विशिष्ट भूमिकाओं में काम करने की अनुमति देना, साथ ही कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए अन्य प्रावधान करना।
(iv) समान या समान कार्य के लिए मजदूरी और रोजगार की शर्तों के मामले में लिंग आधारित भेदभाव का निषेध।
(v) कामकाजी माताओं को काम और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाने में मदद करने के लिए छह साल से कम उम्र के बच्चों के लिए शिशु गृह सुविधाओं को बढ़ावा देना।

इसके अलावा, भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन नौकरी मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास

पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

इसके अतिरिक्त, सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा को समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना नामक रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को कार्यान्वित कर रही है।

*****

अनुबंध-I

"महिलाओं के रोजगार के लिए योजनाएँ" के संबंध में सांसद श्री जी.सी. चन्द्रशेखर द्वारा पूछे गए राज्य सभा के दिनांक 11.12.2025 के अतारांकित प्रश्न 1365 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार/वर्ष-वार - महिला उद्यमी

(राशि करोड़ रुपये में)

		वित्त वर्ष 2020-21		वित्त वर्ष 2021-22		वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2023-24		वित्त वर्ष 2024-25		वित्त वर्ष 2025-26 *	
एस.नं.	राज्य / केंद्र शासित प्रदेश का नाम	ऋण खातों की संख्या	स्वीकृत राशि	ऋण खातों की संख्या	स्वीकृत राशि	ऋण खातों की संख्या	स्वीकृत राशि	ऋण खातों की संख्या	स्वीकृत राशि	ऋण खातों की संख्या	स्वीकृत राशि	ऋण खातों की संख्या	स्वीकृत राशि
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	1,459	15.14	347	9.24	562	13.35	571	13.29	521	15.87	240	9.41
2	आंध्र प्रदेश	435,429	2,784.68	614,391	3,076.55	689,779	4,495.76	750,822	6,369.27	674,262	6,042.98	334,432	3,669.86
3	अरुणाचल प्रदेश	1,888	15.72	3,596	23.88	7,712	48.04	11,026	87.65	15,453	135.90	9,632	102.92
4	असम	853,482	3,703.48	651,561	3,285.07	351,662	2,287.37	203,922	1,120.78	246,703	1,760.86	196,300	1,133.92
5	बिहार	3,262,994	13,061.13	4,705,150	21,324.75	6,532,391	31,210.94	6,494,879	33,029.29	5,139,409	30,668.51	1,941,996	12,595.43
6	चंडीगढ़	7,243	44.61	1,763	27.80	2,792	29.99	3,479	31.94	4,764	37.36	545	15.46
7	छत्तीसगढ	633,209	2,564.56	729,217	2,883.89	811,878	3,803.05	680,785	3,642.90	656,331	3,781.31	256,727	1,603.18
8	दादरा और नगर हवेली	2,850	37	3,409	26.49	2,902	20.26	282	4.67	307	7.64	129	5.42
	दमन और दीव	259	2	123	1.81	214	3.28	210	2.45	322	7.72	130	3.17
9	दिल्ली	161,462	757.04	113,585	694.46	191,195	798.43	104,885	510.86	42,713	393.36	28,436	286.42
10	गोवा	17,931	141.47	16,610	142.77	24,131	207.04	18,886	184.92	11,461	130.56	4,673	67.19
11	गुजरात	914,455	3,746.14	1,036,032	4,764.87	1,141,667	5,914.31	1,053,086	5,667.44	743,200	4,706.13	371,485	2,834.15
12	हरयाणा	643,639	2,562.48	593,037	2,588.16	695,327	3,639.87	517,474	3,141.74	327,256	2,367.80	190,362	1,576.17
13	हिमाचल प्रदेश	40,754	290.72	26,301	171.06	41,759	378.24	36,693	382.47	26,310	372.73	13,212	190.06
14	झारखंड	1,252,260	4,364.72	1,468,060	5,527.60	1,621,485	6,578.33	1,539,551	6,860.85	1,160,664	6,487.41	481,758	3,206.86
15	कर्नाटक	3,103,875	12,517.52	2,988,512	11,995.26	3,886,919	18,026.60	4,600,828	23,503.62	3,439,457	22,314.12	1,015,232	7,702.80
16	केरल	1,105,155	4,314.72	1,166,805	5,113.70	1,123,464	6,660.29	1,317,404	7,931.22	1,396,499	8,615.39	493,227	3,528.27
17	लक्षद्वीप	506	4.13	130	2.38	456	3.35	481	5.34	476	6.18	255	3.89
18	मध्य प्रदेश	2,099,143	7,889.83	2,316,849	9,341.47	2,664,770	12,330.61	2,276,897	10,919.95	2,175,265	12,369.53	948,587	6,242.01
19	महाराष्ट्र	2,957,673	11,106.23	3,589,300	14,561.28	4,349,579	18,755.03	4,096,893	19,769.97	3,369,875	22,088.97	1,169,671	9,835.46
20	मणिपुर	27,806	142.20	22,323	161.14	27,882	204.25	5,274	64.46	4,743	100.10	3,540	83.67
21	मेघालय	28,334	131.04	12,452	94.83	12,721	106.25	11,893	106.34	9,794	111.17	5,257	65.95
22	मिजोरम	7,658	97.02	8,689	97.57	16,256	172.24	21,386	563.57	13,109	199.22	6,347	96.05
23	नगालैंड	14,286	107.30	10,954	101.07	7,915	98.06	7,559	105.52	12,335	141.76	6,372	91.36
24	ओडिशा	2,730,228	8,373.28	2,897,689	9,805.72	3,194,666	13,446.03	2,984,794	13,937.67	2,142,017	12,044.08	764,309	5,389.86
25	पांडिचेरी	77,157	326.59	87,320	399.14	57,541	326.60	87,011	556.11	51,449	377.93	20,496	215.86
26	पंजाब	582,580	2,133.19	621,930	2,538.56	733,555	3,762.76	475,957	2,885.51	272,225	2,211.80	172,646	1,456.27
27	राजस्थान	1,653,640	6,315.33	1,770,874	7,090.70	1,896,203	8,971.42	1,501,159	7,822.96	1,135,044	7,562.96	577,712	4,082.91
28	सिक्किम	7,641	70.34	6,827	80.81	7,634	91.78	7,363	74.55	6,084	72.03	3,183	37.53
29	तमिलनाडु	3,036,978	12,640.08	3,704,525	15,851.68	4,706,514	25,477.64	5,460,898	34,297.74	3,327,929	25,394.08	1,131,519	10,715.06
30	तेलंगाना	282,466	1,384.98	352,999	1,958.61	383,898	2,673.09	400,264	2,974.34	464,266	3,716.77	194,095	1,519.23
31	त्रिपुरा	208,478	1,128.69	286,215	1,867.88	250,570	1,516.92	113,784	531.64	111,334	574.27	48,909	280.38
32	उतार प्रदेश।	2,673,110	9,825.31	3,726,510	15,394.32	4,354,563	19,768.15	4,515,469	21,475.75	3,088,006	16,992.72	1,457,061	9,644.79
33	उत्तराखंड	171,327	831.42	227,311	1,179.67	282,274	1,479.08	249,202	1,359.08	156,442	1,033.12	65,370	536.67
34	पश्चिम बंगाल	4,245,652	16,940.49	4,602,264	23,012.03	4,102,497	22,147.91	2,846,929	14,157.85	2,364,232	13,454.01	1,026,656	6,502.69
35	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर	58,087	881.76	63,204	1,175.11	78,600	1,446.45	91,351	1,734.40	99,508	1,869.63	46,318	912.49
36	केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख	2,510	51.12	2,395	51.13	2,880	61.40	2,934	58.96	3,364	68.04	1,385	30.41
	कुल	**33,303,604**	**131,303.35**	**38,429,259**	**166,422.46**	**44,256,813**	**216,954.17**	**42,492,281**	**225,887.07**	**32,693,129**	**208,234.02**	**12,988,204**	**96,273.23**

*अनंतिम (अक्टूबर 2025 तक)

सोर्स: मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन (MLI) द्वारा मुद्रा पोर्टल पर अपलोड किए गए डेटा के अनुसार

अनुबंध- II

"महिलाओं के रोजगार के लिए योजनाएँ" के संबंध में सांसद श्री जी.सी. चन्द्रशेखर द्वारा पूछे गए राज्य सभा के दिनांक 11.12.2025 के अतारांकित प्रश्न 1365 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले पांच वर्षों (01.04.2020 से 31.03.2025 तक) के दौरान स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत महिला उद्यमियों को दिए गए ऋणों का राज्यवार/वित्तीय वर्षवार विवरण।

(राशि करोड़ रुपये में)

एस. नं.	राज्य / केंद्र शासित प्रदेश का नाम	वित्त वर्ष 2020-21		वित्त वर्ष 2021-22		वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2023-24		वित्त वर्ष 2024-25	
		खातों की संख्या	स्वीकृत राशि	खातों की संख्या	स्वीकृत राशि	खातों की संख्या	स्वीकृत राशि	खातों की संख्या	स्वीकृत राशि	खातों की संख्या	स्वीकृत राशि
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	43	9.53	58	11.37	53	12.68	41	7.92	34	5.78
2	आंध्र प्रदेश	450	102.17	1253	246.75	1966	459.2	2120	396.43	1480	347.43
3	अरुणाचल प्रदेश	24	4.47	26	5.73	40	9.35	47	8.03	128	24.1
4	असम	144	36.56	228	56.59	337	79.94	335	76.54	433	116.41
5	बिहार	378	75.78	603	124.84	1360	263.23	1070	181.04	1588	382.36
6	चंडीगढ़	47	14.78	42	11.03	63	14.67	48	12.29	53	16.05
7	छत्तीसगढ	179	46.03	287	80.71	522	140.73	525	143.3	486	150.31
8	दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली	3	0.56	9	2.17	13	2.16	6	2.53	20	5.14
9	दिल्ली	476	126.95	275	73.53	409	108.62	561	151.52	702	185.99
10	गोवा	30	7.87	24	5.67	117	25.2	111	27.74	102	24.58
11	गुजरात	1099	320.78	909	244.74	2308	592.51	2226	729.16	2379	770.43
12	हरियाणा	368	84.75	349	85.38	1125	212.07	965	216.88	1182	327.34
13	हिमाचल प्रदेश	158	36.58	257	66	454	135.15	329	91.99	380	100.69
14	जम्मू और कश्मीर	218	48.41	68	14.93	158	38.8	144	36.47	169	36.9
15	झारखंड	198	45.4	319	67.95	478	95.71	556	106.18	588	138.17
16	कर्नाटक	927	232.54	1262	266.03	3407	696.86	1577	344.83	1705	380.28
17	केरल	329	69.16	423	79.08	2116	388.14	2462	443.03	1677	342.23
18	लद्दाख	1	0.5	15	3.48	16	2.81	20	4.31	17	2.9
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	413	113.29	917	276.1	1512	438.01	1890	464.21	1684	441.99
21	महाराष्ट्र	1007	305.52	2058	428.74	4066	992.31	3093	737.53	3793	879.07
22	मणिपुर	25	5.36	35	7	66	14	17	5.01	59	13.73
23	मेघालय	18	5.65	24	6.46	38	10.59	71	14.33	48	10.93
24	मिजोरम	19	4.15	36	8.02	38	8.32	23	5.3	49	9.01
25	नागालैंड	52	9.45	29	6.43	62	12.14	44	11.6	43	10.26
26	ओडिशा	481	114.34	513	127.72	1038	284.17	707	222.95	1345	339.04
27	पुदुचेरी	33	8.52	30	5.89	55	16.85	62	13.33	98	20.17
28	पंजाब	391	89.12	469	107.9	1281	237.69	1207	295.09	1117	311.45
29	राजस्थान	523	144.11	873	215.8	1962	425.58	1719	384.17	2529	617.1
30	सिक्किम	19	2.72	48	6.7	42	7.44	35	6.23	41	5.7
31	तमिलनाडु	1642	407.96	1953	472.23	2984	644.3	2587	540.56	4160	822.59
32	तेलंगाना	702	190.95	617	147.77	925	241.92	1751	318.37	1934	415.91
33	त्रिपुरा	26	5.47	38	7.45	67	13.12	84	14.28	112	25.82
34	उत्तर प्रदेश	1528	316.46	1193	264.09	2540	533.13	3486	762.04	3549	803.23
35	उत्तराखंड	268	60.83	92	22.03	235	53.74	313	70.38	608	212.31
36	पश्चिम बंगाल	588	122.82	948	172.35	1413	266.79	1217	196.32	1734	357.77
	कुल	**12807**	**3169.52**	**16280**	**3728.68**	**33266**	**7477.92**	**31449**	**7041.88**	**36026**	**8653.17**

स्रोत: एसआईडीबीआई